

16519

7025/11/19
16/5/19

शुभ
16/5/19

पञ्जावली पेश हुई कृपाय अधिवक्ता पक्षकार
 उपस्थित अधिवक्ता वादी ने न्यायालय के समक्ष
 यह जातिर विवा की इनको पक्षकार की ओर से
 वाद में पेशी करने के लिए कोई भी निर्देश नहीं
 है वादी अधिवक्ता द्वारा वादी को वाद पत्र में
 सबंध में सूचित भी किया जाना बताया है।
 इस कारण वादी द्वारा आज दिनांक को वादी-
 अधिवक्ता को कोई हितयत पेशी नहीं होने
 से व वादी के स्वयं के अनुपस्थित होने से वाद
 पत्र आज दिनांक को अदम पेशी में स्वारिज
 किया जाना उचित प्रतीत होता है प्रतिवादी गण
 के अधिवक्ता ने भी अपनी उपस्थिति प्रकट
 है इसलिए वादी का वाद पत्र अदम पेशी
 अदम लाजरी में स्वारिज किया जाकर पञ्जावली
 फौजल अम्बर के दफ्तर दाखिल है।

उपखण्ड अधिकारी
 मुंडल जिला भीलवाड़ा